



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर
दिल्ली-110032

सं.बी-12015/33(34)/प्रशा.(भर्ती)/एफसीएस-2021/798


12 मार्च, 2021

कार्यालय ज्ञापन

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुपालन में, सभी वैज्ञानिक 'ख' जो परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके हैं और जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने/समाप्ति के बारे में सूचित नहीं किया गया है, उन्हें एतद्वारा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति हेतु मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने का निदेश दिया जाता है।

2) मूल्यांकन में विलंब से बचने के लिए, प्रशासनिक प्रभाग को भरा हुआ मूल्यांकन प्रतिवेदन अग्रेषित करने से पूर्व, कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि भाग-1। एवं भाग-1।। को उनके प्रतिवेदन अधिकारी/पुनर्विलोकन अधिकारी के द्वारा विधिवत भर दिया गया है।

3) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के लिए मूल्यांकन प्रतिवेदन को इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को अग्रेषित किया जाए। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति हेतु मूल्यांकन प्रतिवेदन का कोरा प्रारूप के.प्र.नि.बो. की वेबसाइट (स्टाफ कॉर्नर) पर उपलब्ध है।


12/03/2021
(अशोक कश्यप)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में,

- 1) श्री अकलेश कुमार त्यागी, वैज्ञानिक 'ख'
- 2) श्री देबव्रत दास, वैज्ञानिक 'ख',
क्षेत्रीय निदेशालय कोलकता
- 3) प्रभाग प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी : कृपया इसे के.प्र.नि.बो. की वेबसाइट पर
अपलोड करवाएँ।
- 4) सदस्य सचिव कार्यालय के प्रशा.अधिकारी : सूचनार्थ।
- 5) प्रशासन अधिकारी (का.) की मास्टर फाइल
- 6) कार्यालय आदेश फाइल



Central Pollution Control Board
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi-110032


No.B-12015/33(34)/Admn.(R)/FCS-2021/

12th
10th March, 2021

Office Memorandum

In compliance of DoPT instructions, all the Scientist 'B', who have completed probation period, are hereby directed to fill up the **ASSESSMENT REPORT FOR PROBATION CLEARANCE**.

- 2) For avoiding delay in assessment, before forwarding the filled-up Assessment Report to the Administration Division, please ensure that the Part- II & III are duly filled-up by their Reporting Officer/ Reviewing Officer.
- 3) Assessment Report for Probation Clearance may be forwarded to the Senior Administrative Officer within 15 days from the date of issue of the Office Memorandum. Blank format of the Assessment Report for Probation Clearance is available on CPCB website (Staff Corner).


(Ashok Kashyap) 12/03/21

Senior Administrative Officer

To,

- 1) Shri Aklesh Kumar Tyagi, Sc.B
- 2) Shri Debabrata Das, Sc.B, R.D. Kolkata
- 3) Divisional Head, I.T. Division : Kindly get it uploaded on CPCB website.
- 4) AO of MS : For information please.
- 5) Master file of AO (P)
- 6) Office Order File